

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष २, अंक ८९]

मंगळवार, जुलै १२, २०१६/आषाढ २१, शके १९३८

[पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १८५

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ जुलै २०१६

अधिसूचना

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५.

क्रमांक संकीर्ण. २०१६/प्र.क्र. ७०/ऊर्जा-५.—महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (२०१५ चा महा. अधि. ३१) दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ च्या कलम ३(१) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रोजनार्थ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांमार्फत पात्र उद्योगांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, प्राप्त करण्यासाठी जे अर्ज उद्योग विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक मेइम २०१५/प्र.क्र. १०५/उद्योग-८ दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१६ अन्वये स्थापित करण्यात आलेल्या मैत्री कक्षाकडे प्राप्त होतील त्याकरिता नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय अपील प्राधिकारी या बाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे :—

परिशिष्ट

| | | 4001614 | • | | |
|-----------------------|---|--|--|---|---|
| अ.क्र. (१) | लोकसेवेचा तपशील (२) | लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहित केलेली कालमर्याद (३) | पदनिर्देशित । अधिकारी (४) | प्रथम अपील प्राधिकारी (५) | द्वितीय अपील प्राधिकारी |
| (वि अज | भकामासाठी विद्युत भार मंजुरी हित नमुन्यातील परिपूर्ण र्न व आवश्यक आकारांचा णा केल्यानंतर). | | | (1) | (६) |
| अस | सद्यःस्थितीत अस्तित्वास लेल्या विद्युत वितरण प्रणाली ा जोडणी द्यावयाची असल्यास. | १५ दिवस | लघुदाब ग्राहक (१) सहाय्यक अभियंता, शाखा कार्यालय, महावितरण. (२) उप कार्यकारी अभियंता किंवा अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, उप विभागीय कार्यालय महावितरण. | ऊर्जा विभागाचे समन्वय अधिकारी, मैत्री कक्ष | विकास आयुक्त (उद्योग) तथा अध्यक्ष, मैत्री कक्ष |

परिशिष्ट—चालू

| (१) | (२) | (\$) | (%) | (५) | (६) |
|-----|--|---|---|--|--|
| | | | उच्चदाब ग्राहक :— अधीक्षक अभियंता मंडळ, कार्यालय, महावितरण. | | |
| | (२) सद्यःस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या विद्युत वितरण प्रणालीचे श्रेणीवृद्धीकरण व विस्तारीकरण करावयाचे असल्यास. | ३० दिवस | लघुदाब ग्राहक :— (१) उप कार्यकारी अभियंता किंवा अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता उप विभागीय कार्यालय महावितरण (२) कार्यकारी अभियंता, विभागीय कार्यालय महावितरण. | | 27 |
| | | | उच्चदाब ग्राहक :— अधीक्षक अभियंता मंडळ, कार्यालय, महावितरण. | | |
| | (३) नवीन वीज उपकेंद्र उभारावयाचे असल्यास. | १९६ दिवस (नविन उपकेंद्रासाठी गागा उपलब्ध असल्यास) | अधीक्षक अभियंता, मंडळ कार्यालय, महावितरण. | | |
| 7 | उद्योगासाठी विद्युत भार मंजुरी (विहित नमुन्यातील परिपूर्ण अर्ज व आवश्यक आकारांचा भरणा केल्यानंतर) | | | | |
| | (१) सद्यःस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या विद्युत वितरण प्रणालीमधून जोडणी द्यावयाची असल्यास. | १५ दिवस | लघुदाब ग्राहक :— (१) सहाय्यक अभियंता, शाखा कार्यालय, महावितरण. (२) उप कार्यकारी अभियंता किंवा अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, उप विभागीय कार्यालय, महावितरण. | ऊर्जा विभागाचे समन्वय अधिकारी, मैत्री कक्ष. | विकास आयुक्त (उद्योग) तथा अध्यक्ष, मैत्री कक्ष. |
| | | | उच्चदाब ग्राहक :— अधीक्षक अभियंता, मंडळ कार्यालय, महावितरण. | | |
| | (२) सद्यःस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या विद्युत वितरण प्रणालीचे श्रेणीवृद्धीकरण व विस्तारीकरण करावयाचे असल्यास. | ३० दिवस | लघुदाब ग्राहक :— (१) उप कार्यकारी अभियंता किंवा अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, उप विभागीय कार्यालय, महावितरण. | | |
| | | | (२) कार्यकारी अभियंता, विभागीय कार्यालय, महावितरप | ग. | |

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, जुलै १२, २०१६/आषाढ २१, शके १९३८

परिशिष्ट—समाप्त

| (5) | (\$) | (8) | (4) | (६) |
|--|---|---|--|--|
| (३) नवीन वीज उपकेंद्र उभारावय असल्यास. | (नवीन उपकेंद्रांसाठी जाग उपलब्ध असल्यास) | उच्चदाब ग्राहक :— अधीक्षक अभियंता, मंडळ कार्यालय, महावित अधीक्षक अभियंता, मंडळ कार्यालय, महावित्स | | |
| ₹ Line Charging permiss at MSETCL. | | ३३ केव्ही ते २२० केव्ही अधीक्षक अभियंता, विद्युत निरीक्षण मंडळ २२० केव्ही वरील - मुख्य विद्युत निरीक्षक | ऊर्जा विभागा समन्वय अधिकारी, मैत्री कक्ष. | चे विकास आयुक (उद्योग) तथा अध्यक्ष, मैत्री कक्ष. |
| ४ विद्युत शुल्क माफी प्रकरणांना मंजुरी | ९० दिवस | मुख्य विद्युत निरीक्षक किंवा विद्युत निरीक्षक | ऊर्जा विभागाः समन्वय अधिकारी, मैत्री कक्ष. | े विकास आयुक्त (उद्योग) तथा अध्यक्ष, मैत्री कक्ष. |
| ५ डीजी सेट आराखडा मंजुरी | ३० दिवस (आराखडा प्राप्त झाल्या- पासून त्रुटी नसल्यास) ७ दिवस (त्रुटींची पूर्तता केल्यानंतर) | २०० के.वॅ. ते ५०० मे. वॅ अधीक्षक अभियंता, विद्युत निरीक्षण मंडळ ५०० मे. वॅ. वरील - मुख्य विद्युत निरीक्षक | ऊर्जा विभागाचे समन्वय अधिकारी, मैत्री कक्ष. | |
| ६ डीजी सेट चार्ज परवानगी विद्युत शुल्क माफी प्रकरणांना मंजुरी | ३० दिवस (निरीक्षक दिनांक निर्धारण केल्यापासून संच मांडणीत त्रुटी नसल्यास) ७ दिवस (त्रुटींची पूर्तता केल्यानंतर) | २०० के.वॅ. ते ५०० मे. वॅ अधीक्षक अभियंता, विद्युत निरीक्षण मंडळ ५०० मे. वॅ. वरील - मुख्य विद्युत निरीक्षक | ऊर्जा विभागाचे समन्वय अधिकारी, मैत्री कक्ष. | विकास आयुक्त (उद्योग) तथा अध्यक्ष, मैत्री कक्ष. |
| डीजी सेट नोंदणीकरण | ३० दिवस | औद्योगिक वापरासाठी- मुख्य विद्युत निरीक्षक इतर वापरासाठी- विद्युत निरीक्षक | ऊर्जा विभागाचे समन्वय अधिकारी, मैत्री कक्ष. | विकास आयुक्त (उद्योग) तथा अध्यक्ष, मैत्री कक्ष. |

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

भि. य. मंता, शासनाचे उप सचिव.

INDUSTRY, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT

Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya Mumbai 400 032, dated the 11th July 2016

NOTIFICATION

Maharashtra Right to Public Services Act, 2015.

No. Misc.2016/C.R.70/Energy-5.— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 3 of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 (Mah. XXXI of 2015), the Industries, Energy and Labour Department hereby notifies the public services to be rendered to the eligible industries whose applications are received at Maitri Cell, Mantralaya, established vide G.R. of Industries Department No. MiM. 2015/CR-105/Ind-5, dated the 11th February 2016 along with the stipulated time limit for providing such public services, the Designated Officers, First Appellate Authorities and Second Appellate Authorities, as specified in the Schedule appended herewith, for the purposes of said Act:—

Schedule

| | Schedule | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|--|--|
| Sr. No. | Name of the Public Service | Time limit for providing service (working days) | Designated Officer by whom services will be provided | First Appellate Authority | Second Appellate Authority | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | |
| 1 | Sanction of power supply for construction (on receipt of completed application form and payment of necessary charges),— | | | | | | |
| | (1) In case connection is to be released from existing network. | Fifteen (15) days | LT Consumer— (1) Assistant Engineer, Section Office, MSEDCL. | Nodal Officer of Energy Department, Maitri Cell. | Development Commissioner (Industries) or Chairman, Maitri Cell. | | |
| | (2) Where extension or augmentation of Distributing Mains is required. | Thirty (30) days | (2) Deputy Executive Engineer or Additional Executive Engineer, Sub-Division Office, MSEDCI HT Consumer— Superintending Engineer, Circle Office, MSEDCI LT Consumer— (1) Deputy Executive Engineer or Additional Executive Engineer, Sub-Division Office, | - e | | | |

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, जुलै १२, २०१६/आषाढ २१, शके १९३८

Schedule-Contd.

| (1) | (2) | au, | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|---|--|--|--|-------------------------------|--|
| | | | | MSEDCL. (2) Executive Engineer, Divi Office, MSEDC HT Consumer- Superintending Engineer, Circle | PL. — B le | |
|] | (3) Where commission New Sub-station for: part of the distribution is required. | ming a on system | One hundred and ninety-six (196) days (On availability of land for Sub-station). | Office, MSEDC Superintending Engineer, Circl Office, MSEDC | e e | 2 |
| I c p (1 | Sanction of power su industry (on receipt of completed application payment of necessary 1) In case connection eleased from existin | of n form and charges),— n is to be | Fifteen (15) days | LT Consumer— (1) Assistant Engineer, Section Office, | Officer of Energy Department, | Development Commissione (Industries) of Chairman, |
| | | | | MSEDCL. (2) Deputy Executive Engineer or Additional Executive Engineer, Sub- Division Office, MSEDCL. | Maitri Cell. | Maitri Cell. |
| | | | | HT Consumer— Superintending Engineer, Circle Office, MSEDCL. | | |
| (2) Where extension or augmentation of Distributing Mains is required. | | Thirty (30) days | LT Consumer— (1) Deputy Executive Engineer or Additional Executive Engineer, Sub- Division Office, MSEDCL. | | | |
| | | | (2) Executive Engineer, Division Office, MSEDCL. | | | |
| New part | There commissionin Sub-station forming of the distribution s quired. | g a ystem ((| e hundred ninety- six (196) days On availability of d for Sub-station). | HT Consumer— Superintending Engineer, Circle Office, MSEDCL. Superintending Engineer, Circle Office, MSEDCL. | | |

Schedule-Concld.

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|---|--|---|---|
| 3 | Line charging permission at MSETCL. | Forty-five(45) days | 33 kV to 220 kV-Superintending Engineer, Electrical Inspection Circle. Above 220 kV—Chief Electrical Inspector. | Officer of Energy Department, Maitri Cell. | Development Commissioner (Industries) or Chairman, Maitri Cell. |
| 4 | Sanction to the Electricity Duty exemption cases. | Ninety (90) days | Chief Electrical Inspector or Electrical Inspector. | Nodal Officer of Energy Department, Maitri Cell. | Development Commissioner (Industries) or Chairman, Maitri Cell. |
| 5 | D.G. Set Plan Sanction | (i) Thirty (30) days (On receipt of plan if no descrepancies). (ii) Seven (7) days (after compliance of descrepancies) | 200 kW to 500 MW— Superintending Engineer, Electrical Inspection Circle. Above 500 MW— Chief Electrical Inspector. | Nodal Officer of Energy Department, Maitri Cell. | Development Commissioner (Industries) or Chairman, Maitri Cell. |
| 6 | D.G. Set charging permission | (i) Thirty (30) days (On confirmation of inspection date if no descrepancies). (ii) Seven (7) days (after compliance of descrepancies). | 200 kW to 500 MW- Superintending Engineer, Electrical Inspection Circle. | Nodal Officer of Energy Department, Maitri Cell. | Development Commissioner (Industries) or Chairman, Maitri Cell. |
| | | | Above 500 MW— Chief Electrical Inspector. | | |
| 7 | Registration of D.G. Set | Thirty (30) days | For Industrial Us Chief Electrical Inspector. Other use— Electrical Inspector. | e— Nodal Officer of Energy Department, Maitri Cell. | Development Commissioner (Industries) or Chairman, Maitri Cell. |

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

B. Y. MANTA, Deputy Secretary to Government.